संख्या- 97 /2016-233 /नौ-5-16-112बजट/2012

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 18 अप्रैल, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-2017 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद रामपुर की रामपुर पुनर्गठन पेयजल योजना के कार्यो हेतु छठवीं किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, (नागर) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र संख्या-16/नागर-2/033-410/16, दिनांक 13.01.2016 के संदर्भ में शासनादेश सं0-919/नौ-5-2013-112बजट/2012, दिनांक 12.03.2013, शासनादेश सं0- 926/नौ-5-2014-112बजट/2012, दिनांक 14.02.2014, शासनादेश सं0- 1094/नौ-5-2014-112बजट/2012, दिनांक 13.03.2014, शासनादेश सं0- 208/2015-2336/नौ-5-2015-112बजट/2012, दिनांक 23.06.2015 एवं शासनादेश सं0- 07/2016-6327/नौ-5-2015-112बजट/2012, दिनांक 14.01.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद रामपुर की रामपुर पुनर्गठन पेयजल योजना के कार्यो हेतु निर्धारित लागत रू0 4995.78 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि के अतिरिक्त छठवीं किश्त के रूप में रू0 646.62 लाख (रूपये छः करोड़ छियालिस लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि शासनादेश सं0-919/नौ-5-2013-112बजट/2012, दिनांक 12.03.2013 द्वारा निर्धारित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यवाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/ विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(7) कार्यो की द्विरावृति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(8) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

(9) अवशेष 5 प्रतिशत की धनराशि को कार्य योजना के पूर्ण होने, कार्यगुणवत्ता के साथ कराये जाने की पुष्टि करने तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने पर अवमुक्त की जायेगी।

go finance mangal font

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धरित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण् इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदो को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय -0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या- 97 /2016-233/नौ-5-16-112बजट/2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, लखनऊ/रामपुर ।
3. कोषाधिकारी, कलेक्टेट कम्पाउण्ड लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ ।
6. मुख्य अभियंता,(मुरा0 क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद।
7. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रामपुर।
8. वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/4
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी/ मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो ।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल ।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

go finance bengal font

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-18/04/2016

प्रेषण संख्या:- 97

आवंटन आदेश संख्या:- 001-97-2016-233-9-5-16-112B-2012

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

01 - जलपूर्ति

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों के कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान	64662000	64662000
		प्रगामी	253611000	253611000
	योग	वर्तमान	64662000	64662000
		प्रगामी	253611000	253611000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छ: करोड़ छियालीस लाख बासठ हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पच्चीस करोड़ छत्तीस लाख ग्यारह हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी